दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1930 और 1932 के बीच लंदन, इंग्लैंड में आयोजित तीन सम्मेलनों की श्रृंखला में दूसरा था, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों पर चर्चा और विचार-विमर्श करना था। सम्मेलन ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित किए गए थे और संवैधानिक परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करने के लिए भारतीय राजनीतिक नेताओं, रियासतों के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश अधिकारियों की एक विस्तृत श्रृंखला को एक साथ लाया गया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं और परिणाम इस प्रकार हैं:

पृष्ठभूमि:

- प्रथम गोलमेज़ सम्मेलन: पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, लेकिन इससे संवैधानिक सुधारों पर कोई व्यापक समझौता नहीं हो सका। ब्रिटिश सरकार को उम्मीद थी कि बाद के सम्मेलनों से आम सहमति बनाने में मदद मिलेगी।
- सविनय अवज्ञा आंदोलन: भारत में, महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। आंदोलन में अहिंसक प्रतिरोध, विरोध प्रदर्शन और ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार शामिल था।

प्रमुख विशेषताऐं:

- प्रतिभागी: पहले सम्मेलन की तरह, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभागियों का एक विविध समूह था। प्रतिनिधियों को तीन मुख्य समूहों में विभाजित किया गया था:
  - समूह अ: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहित विभिन्न भारतीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने स्वशासित प्रांतों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।
  - ग्रुप बी: रियासतों के प्रतिनिधियों ने भविष्य के भारतीय संघ में अपनी भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया।
  - ग्रुप सी: इस समूह ने अल्पसंख्यक हितों, जैसे धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व, पर चर्चा की।
- कांग्रेस की भागीदारी: पहले गोलमेज सम्मेलन के विपरीत, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का फैसला किया, जिसमें प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया।
- चर्चाएँ: दूसरे गोलमेज सम्मेलन में संवैधानिक सुधारों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई, जिसमें सरकार का स्वरूप, केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण, अल्पसंख्यक अधिकार और रियासतों का प्रतिनिधित्व शामिल था।

परिणाम:

- गांधी-इरविन समझौता: दूसरे गोलमेज सम्मेलन ने भारतीय नेताओं और ब्रिटिश सरकार के बीच बातचीत का माहौल बनाने में भूमिका निभाई। अंततः 1931 में गांधी-इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे राजनीतिक कैदियों की रिहाई हुई और सविनय अवज्ञा आंदोलन को निलंबित कर दिया गया।
- मतभेद और गतिरोध: पहले गोलमेज सम्मेलन की तरह, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी प्रतिभागियों के बीच महत्वपूर्ण मुद्दों पर महत्वपूर्ण मतभेद थे, विशेष रूप से रियासतों की भूमिका और अल्पसंख्यक अधिकारों के संबंध में।
- बाद के सम्मेलन: प्रस्तावित सुधारों पर चर्चा जारी रखने के लिए 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। हालाँकि, इससे भी कोई व्यापक समझौता नहीं हो सका।
- दीर्घकालिक प्रभाव: दूसरे गोलमेज सम्मेलन सहित गोलमेज सम्मेलनों में हुई चर्चाओं ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम को आकार देने में योगदान दिया। इस अधिनियम ने कुछ संवैधानिक परिवर्तन पेश किए और 1947 में भारत के लिए सत्ता के अंतिम हस्तांतरण और स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। .

दूसरे गोलमेज सम्मेलन ने भारतीय नेताओं और ब्रिटिश सरकार के बीच संवाद और बातचीत को सुविधाजनक बनाने में भूमिका निभाई। हालाँकि इससे संवैधानिक सुधारों पर तुरंत पूर्ण सहमति नहीं बन पाई, लेकिन यह व्यापक प्रक्रिया में एक कदम था जिसके कारण भारत को अंततः स्वतंत्रता और स्वशासन प्राप्त हुआ।